संजय दत्त के प्रति इतनी सहानुभूति क्यों ?

– सुनील आंबेकर

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संजय दत्त को अंतिम रूप से सजा सुनाने के पश्चात कई लोगों का उसके प्रति प्रेम उमड़ पड़ा है। हमारी तथाकथित मिडिया और कुछ प्रख्यात लोग जैसे प्रेस काऊन्सिल के अध्यक्ष श्री काटजू और कुछ राजनीतिक दल जैसे समाजवादी पार्टी एवं अन्य दल जिन लोगों ने संजय दत्त को एक भोला–भाला इन्सान बताते हुए उसे माफी देने की बात कही है। 1993 में घटित मुंबई की उस घटना को जिसमें एक के बाद एक 13 विस्फोट हुए और आम लोगों की जानें जिस तरीके से ली गई, वह बहुत ही घिनौना कृत्य था उसे आज भी भूला पाना मुश्किल है। निर्दोष लोगों को क्रुरता से मारा गया था और ये अचानक किया गया हमला नही था, यह एक योजनाबद्ध तरीके से मुंबई के अंडरवर्ल्ड (गुण्डातंत्र) के तथाकथित डॉन कहे जाने वाले दाऊद इब्राहिम और उसके साथियों द्वारा ये योजनाबद्ध तरीके से किया गया काम था। और कुछ लोग कहते हैं कि संजय दत्त ने उस समय अपने पास केवल अपनी सुरक्षा के लिये पिस्तौल रखी थी। एक सच आज सबको जान लेने की जरूरत है, खासकर उन्हें, जो लोग उसके लिये माफी की बात कर रहे हैं, उन्हे ये बात समझने की जरूरत हैं की संजय दत्त ने केवल गलती से अपने पास कोई एक बन्दूक या पिस्तौल स्वंय की सुरक्षा के लिये नही रखी थी।

जो सारी बातें व तथ्य न्यायालय के समक्ष आये हैं, वो सीधे तौर पर स्पष्ट करते हैं कि किस तरीके से बम विस्फोट के पश्चात होने वाले संभावित दंगो को देखते हुए अपने लोगों अर्थात उनकी गैंग के साथ–साथ और जो भी लोग इसके समर्थन में थे ऐसे लोगों के बचाव के लिये और व्यापक अर्थ में उन दंगों में हिन्दूओं पर आक्रमण करने के लिये बहुत बड़ा हथियारों का जखीरा जिसमें बन्दूकें, हैंड ग्रेनेड आदि इनकी बहुत बड़ी किस्त मुंबई लायी गई थी। उस किस्त के हथियारों की उस ट्रक को बातचीत करते हुए संजय दत्त की अनुमति से, उनकी इच्छा से, उसके घर में ही लाया गया तथा वो जखीरा पुरा वहीं उतारा गया था। वो सारे साधन भी पुलिस रिकार्ड में हैं जो संजय दत्त ने अपने घर से दिये जिसमें उनको अलग–अलग भरने के लिये थैलियाँ, हथियारों के बॉक्स खोलने के लिये जो साधन लगे वो सारे उसने मुहैया कराये। और एक बन्दूक, पिस्तौल और कुछ हैंड ग्रेनेड अपने घर में भी रखवा लिये, सुरक्षा के लिये इन साधनो की कोई जरूरत नही थी और वो भी स्वंय अपने घर में जहाँ सुनील दत्त जी के कारण पहले ही पुलिस सुरक्षा लगी हुई थी। सच तो यह है कि संजय दत्त चाहता, तो मुंबई में विस्फोट भी टल सकते थे और एक बहुत बड़े आतंकी आक्रमण को रोका जा सकता था। इसलिये संजय दत्त भी उतना ही दोषी है, जितने बाकी लोग दोषी है। कानून के जितने विधान होते है, उनके अनुसार उसे भले ही सजा कम हुई हो, लेकिन आम जनता के लिये तो वो उतना ही दोषी है, जिसने आतंकियों की छोटी सी भी सहायता की हो, वह इन विस्फोटों में उतना ही दोषी है। अभी हाल ही में ABP न्यूज चैनल ने यह खुलासा भी किया है भी सन 2000 में जेल से आने के बाद उसने दाऊद की गैंग के आदमी छोटा शकील व अन्य से 45 मिनिट फोन पर बात की है, उसमें कई विषय उसने बोले हैं। ये लोग जो मानते हैं की संजय दत्त ने गलती से, निष्पाप भाव से, गलतफहमी में अपनी सुरक्षा के लिये कोई शस्त्र रख लिया हो ऐसा नही है। इसके बिल्कुल उन सब लोगों से अच्छे संबंध थे और इसी कारण से संजय दत्त उनकी योजना का ही एक हिस्सा था।

इसलिये संजय दत्त को माफी देना, उन सब लोगों के साथ नाइसांफी होगी, जिनको इस विस्फोट की प्रताड़ना झेलनी पड़ी। इससे केवल उन लोगो को प्रताड़ना नही हुई जिन्हें इसमें प्रत्यक्ष तौर पर हानि हुई बल्कि ये पुरे भारत के खिलाफ एक आक्रमण था। आज ये समझने लायक विषय है की अगर संजय दत्त की उसके बाद कुछ आदतें छुट गई हों, उसके बाद उसने अगर उन लोंगों से अपना नाता तोड़ लिया हो, या खुद को किनारे कर लिया हो तो यह उसके लिये कानून से छुटने का कोई कारण नही बनता है। इतनी बड़ी घटना होने के बाद अगर उसने खुद को उनसे अलग भी कर लिया है तो भी उसने जान बुझकर जो गुनाह किया है, उसकी माफी उसको नही दी जा सकती। सिनेमा जगत के कई सारे कलाकार और बहुत सारे नामी लोग इस बात पर उसको सहानूभूति दिखा रहे है की वो बहुत अच्छा व्यक्ति है और उसने बहुत सारे सामाजिक काम भी किये है, लेकिन ये किसी के लिये सजा माफी का कोई आधार नही बनता, की देश के लिये गद्दारी करने वाले को इस तरह छोड़ा जाये। क्योंकि ये गुनाह उसने नासमझी में नही, सोच समझकर किया है और इसलिये कानून के मुताबिक उसे सजा मिलनी ही चाहिये।

संजय दत्त को एक लंबी कानूनी प्रक्रिया के लगभग 20 साल के दौरान उसे अपनी बात रखने और खुद को निर्दोष साबित करने का पर्याप्त मौका और समय मिला है। और ये न्यायालय द्वारा हड़बड़ी में किया गया कोई निर्णय नही है। ये नीचे के न्यायालय से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक चली लंबी प्रक्रिया का निष्कर्ष है। इसलिये जब देश आतंकवाद और पाकिस्तानी हमलों से जूझ रहा है और आम व्यक्ति उसके आक्रमण का केन्द्र बन रहा है ऐसे समय में ऐसी घटनाओं से जुड़े व्यक्ति को कड़ी सजा दिये जाने की आवश्यकता हैं। इस समय पर ऐसे किसी व्यक्ति को केवल इसलिये कि वह एक फिल्म कलाकार है और कुछ बड़ी हस्तियाँ और लोग उसे पसन्द करते है और उससे दोस्ती रखते हैं, अगर सिर्फ इस कारण से इस देश में किसी को अपराध की माफी मिल जाती है तो ये उन सारे फौजियों, सारे सैनिकों, एवं पुलिस कर्मियों के साथ जो हमारी सुरक्षा में रात-दिन लगे है तथा हमारे लिये जो अपनी जान लगा देते है, उन सब के साथ ये नाइसांफी होगी। इसलिये आज आवश्यकता है कि "तक्षकाय स्वाहा-इन्द्राय स्वाहा" ऐसे तक्षकों को तो सजा मिलनी ही चाहिये तथा साथ ही जो लोग ऐसे तक्षकों का समर्थन करते हैं, उनको भी सजा मिलनी चाहिये।

आज हमारे देश के प्रेस काऊन्सिल के अध्यक्ष जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण पद पर बैठे हुए श्री काटजू जो स्वयं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश रह चुके हैं, ऐसा व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय की प्रक्रिया में और ऐसे पद पर रहते हुए अपने विचारों को केवल रख ही नही रहा है वरन् ऐसे दोषी व्यक्ति को माफी दिलाने के लिये लगातार प्रचार का काम भी कर रहा है। इसलिये ऐसे कार्य को भी एक प्रकार से न्यायालय की प्रक्रिया में हस्तक्षेप और दण्डनीय अपराध मानने की आज जरूरत हो गई है। अगर काटजू को देशद्रोहियों से इतनी ही सहानूभूति है तो वे अपने पद से इस्तीफा दें, फिर वे अपनी बात को समाज के सामने एक सामान्य व्यक्ति के नाते रखें। आज-कल मानवाधिकार के नाम पर इस प्रकार के लोगों की बाढ़ आ गई है, जो कभी नक्सलियों के समर्थक विनायक सेन के समर्थन में निकलकर आते हैं तो कभी अफजल को फाँसी देने के विरोध में निकलकर आते हैं। आज-कल ऐसे लोगों की होड़ मची हुई है।

आज युवाओं को इन बातों पर रोष प्रकट करने एवं ऐसे लोगों को रोकने की जरूरत हैं। समाज के लिये जो लोग ऐसे विचार प्रस्तुत करते हैं ऐसे लोगों व उनके विचारों को पराजित करने की जरुरत है। मुझे खुशी होती अगर श्री काटजू को उन लोगों की याद आती जो हमारे देश की जेलों में विचाराधीन कैदियों के रूप में बंद है। जो बरसों से जेलों में हैं पर उनके केस का कोई निराकरण नही हुआ हैं, तथा वो आर्थिक व सामाजिक

दृष्टि से इतने असहाय है कि उनके लिये ना तो जमानत के प्रावधान हो पा रहे है एवं ना ही उनके केस का कोई निष्कर्ष निकल रहा है और सालों से वो बिना किसी निष्कर्ष के जेल में जीवन काट रहे हैं, ऐसे लाखों कैदी है, और कितने लोगों के ऐसे निर्णय आज भी न्यायालयों में लंबित पड़े हैं। मुझे खुशी होती अगर श्री काटजू प्रैस काऊन्सिल के अध्यक्ष पद के अपने अधिकार उपयोग करते हुए उन लोगों के प्रति सहानूभूति दिखाते और उनके लिये न्याय की गुहार लगाते, राज्यपाल से लेकर राष्ट्रपति तक को तत्परता से पत्र लिखते। लेकिन इससे उनकी मानसिकता झलकती है कि उन्हें देश के आम व्यक्ति के लिये कोई सहानुभूति नही हैं। उन्हे अपने साथ क्लबो में उठने-बैठने वाले व्यक्तियों की जमात का कोई व्यक्ति इसमें फँस जाता है तो ये उसको बचाने के लिये संविधान द्वारा प्रदत्त ऐसे संवैधानिक पदों का दुरुपयोग करने में अधिक रुचि रखते है।

ऐसी प्रवृत्ति और ऐसे लोग समाज व देश के लिये घातक है। हमारे देश के लोगों विशेषकर युवाओं को इन्हे समझने की आवश्यकता हैं। एक ओर जहाँ कसाब को फाँसी देने की प्रक्रिया में बहुत वक्त लग जाता है, परंतु आज महाराष्ट्र के राज्यपाल द्वारा संजय दत्त को माफी देने के लिये उनके पास आए हुए आवेदनों को तुरंत ही राज्य सरकार के पास भेजने में बहुत तत्परता दिखाई गयी है, यह भी एक विचारणीय मुद्दा हैं, और वास्तव में इस पर उनके द्वारा देश को जबाब दिया जाना चाहिये।

मुझे खुशी होती अगर काँग्रेस की सांसद प्रिया दत्त यह भूमिका लेती कि मैं जनता कि प्रतिनिधी व एक सांसद हुँ और यह मेरा भाई है तो क्या हुआ, मुंबई के लोग जिस विस्फोट से इतना प्रताड़ित हुए उन लोगों के लिये मुझे ज्यादा सहानुभूति है। लेकिन वह भी सामान्य रूप से सिर्फ अपने भाई के लिये ही आँसू बहा रही है। मुझे खुशी होती अगर वो उन पिड़ीतों के लिये आँसू बहाती। लेकिन इस प्रकार के कृत्यों से इन लोगों का जो दोहरा चेहरा उजागर होता है उसे पहचानने की जरूरत है। आज अगर इन लोगों की चलेगी तो ये वही लोग हैं जो कभी कसाब व अफजल की फाँसी का विरोध करते है, उनके लिये सहानुभूति दिखाते हैं और पुरी दुनिया में बहस खड़ी करते हैं। ये उसी जमात के लोग हैं। ये पुरी जमात जो देश में खड़ी हो रही है, उन्हें समझने की जरूरत हैं। और इसलिये देश में एक लम्बी बहस जो लगातार चल रही है, इस बात पर युवाओं को चुप नही रहना चाहिये, उन्हे चुप्पी तोड़ने कि जरूरत हैं। और ऐसे लोगों के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करने की जरुरत है, ताकि उन लोगों पर, प्रशासन पर, समाज पर यह दबाव बन सके कि ऐसे लोगों को कदापि माफी नही मिलनी चाहिये। इन विस्फोटों के कारण देश में इतने लोगों को प्रताड़ना झेलनी पड़ी हैं, वह असहनीय है। अगर वास्तव में संजय दत्त को अपनी गलती का अहसास है, तो उनके प्रायश्चित का एक ही मार्ग हैं कि न्यायालय ने उनको जो सजा दी है वो उस सजा को सम्मानपूर्वक स्वीकार करे एवं उस सजा की अवधि को जेल में पुरा करे।

(लेखक अभाविप के राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं।)